सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 62/14 **निर्णय दिनांकः—04.06.2018**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़।

—अपीलांट

—बनाम—

1. हरीराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी लखासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. श्रीमती लिछमा पत्नि स्व. उदाराम जाति जाट निवासी लखासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. मूलाराम
4. मोहनी
5. सन्तोष
6. पेमा
7. पुष्पा

पिसरानम स्व. उदाराम जाति जाट निवासी लखासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01—03—2006
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः

1. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 01—03—2006 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि तहसील श्रीडूँगरगढ़ के ग्राम लखासर के खसरा नम्बर 553/385/23 तादादी 36 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 563 तादादी 8.1100 व खसरा नम्बर 714/578 में तादादी 1.0700 हेक्टर बने है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके पिता उदाराम द्वारा एक दावा धोषणात्मक व राजस्व अभिलेखों में संशोधन एवं चिरनिषेधाज्ञा का अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादीगण जागीर के समय से अर्थात सवंत् 2012 से पूर्व पशुओं को चराते रहे है। वादीगण हरिराम व उसके पिता उदाराम के नाम सवंत् 2027 की गिरदावरी में नाम अंकित है। उससे पूर्व का कोई भी राजस्व रिकार्ड नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने सेटलमेंट विभाग से मिलकर ग्राम लखासर के खसरा नम्बर 385 तादादी 598 बीघा 17 बिस्वा जो राजस्व रिकार्ड में रिफाये आम गैर मुमकिन गोचर दर्ज था जो सेटलमेंट में आराजीराज दज था तथा बाद में आराजीराज बताकर गिरदावरी में काश्त बताकर अधिनस्थ न्यायालय से दावा डिक्री करवाया गया है। जिसका रेस्पोडेन्ट को कतई अधिकार प्राप्त नहीं था।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि संवत् 2017 से गिरदवरियों में गैर मुमकिन गोचर दर्ज चली आ रही है। जिसकी खातेदारी प्रदान करने का अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। धारा 16 आरटीएक्ट में वर्णित भूमि की खातेदारी के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अवैद्य व बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया वॉयड आदेश है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नाजायज कब्जे के आधार पर एडवर्स पजेशन में खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में आरआरडी 2011 पेज 508 में अभिलिखित है कि In tenancy rights create no Khatedari rights on the basis of adverse possession.

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने आगे बताया कि सेटलमेंट विभाग को भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर से आराजीराज दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सेटलमेंट द्वारा वादगत् भूमि कि किस्म गोचर

से आराजीराज रिकार्ड में गलत दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट ने इस तथ्य का फायदा उठाकर मात्र 10 वर्ष की गिरदावरी से नाजायज कब्जे को आधार बनाकर दावा डिक्री करवाया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष स्टेट ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट/वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। यदि आराजीराज भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया भी जाता है तो धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर उसे बेदखल कर दिया जाता है। सरकारी भूमि पर नाजायज काश्त करने से रेस्पोडेन्ट/वादी को कोई अधिकार हासिल नहीं होते है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना अपरिहार्य है। लेकिन वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 80 सीपीसी के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद इसी आधार पर खारिज होने योग्य था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद स्वीकार करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य साबित थे कि वादगत् भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त सवंत् 2012 से पूर्व कब्जा नहीं था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि जो रिकार्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है, के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट/वादी को प्रदान करने में कानूनी भूल कारित की गई है। लिहाजा स्टेट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने मियांद के संबंध में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी पूर्व में चुनाव कार्य में व्यस्तता के कारण नहीं हो पाई। दूसरी तरफ यह भी कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक वॉयड आदेश है जिस पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण रखा जावे।

ऐसी स्थिति में जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि वादीगण के कब्जे काश्त में उपयोग व उपभोग का खेत खसरा नम्बर 553/385/23 तादादी 36.06 बीघा वाक रोही ग्राम लखासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित है। जिसे रेस्पोडेन्ट/वादीगण संवत् 2012 से पूर्व से जागीर के समय से काश्त करते आ रहे है एवं अपने पशुओं को चराते चले आ रहे है। वादगत् भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में की है लेकिन बड़ा चक होने के कारण पहले वादी का नाम गिरदावरी नहीं हुई संवत् 2027 से लगातार वादीगण के नाम गिरदवारी में चला आ रहा है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने काफी मेहनत करके वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया है। अदालत मातहत ने उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व उक्त तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए साक्ष्य व सबूत प्राप्त करते हुए विधि सम्मत तरीके से वादीगण/रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि का खातेदार धोषित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद व दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई जिसमें तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया खसरा नम्बर 553/385/23 तादादी 36.06 बीघा रोही लखासर पर वादी संवत् 2012 से पूर्व कब्जा काश्त रही है। इसलिए वादी खातेदारी धोषित कराने विकल्प में नियमन द्वारा गैर खातेदार धोषित कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट पर था। वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तनकी को नियमानुसार अदालत मातहत के समक्ष दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य से साबित किया गया है कि वादगत् भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट का सवंत् 2012 से पूर्व कब्ज काश्त रहा है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों के आधार पर उक्त तनकी वादीगण/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित की गई है। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 को भी अदालत मातहत ने तनकी संख्या 1 के प्रकाश में

वादीगण/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा समय समय पर अदालत मातहत के समक्ष खातेदारी प्रदान करते हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाते रहे है। इसी के तहत ग्रामीण विकास शिविर में दिनांक 04—06—1993 को उक्त भूमि की खातेदारी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ ने जॉच के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही मानते हुए वादगत् भूमि के नियमन की कार्यवाही वादीगण के पक्ष में करने की अनुशंसा की गई थी। इसप्रकार यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि वादीगण/रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में संवत् 2012 से पूर्व चली आ रही है। लिहाजा अदालत मातहत ने उनके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः स्टेट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियांद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—03—2006 की जानकारी तहसीलदार को पूर्व से ही थी क्योंकि उनके द्वारा एक रेफरेन्स दिनांक 14—05—2009 को प्रस्तुत किया गया था उक्त रेफरेन्स दिनांक 18—10—2013 को निर्णित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार का यह कथन कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं थी स्वीकार योग्य कथन नहीं है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह करने की नियत मात्र से मिथ्या कथन करते हुए उक्त अपील अन्दर मियांद शुमार कराने की चेष्टा की गई है जो कतई उचित नहीं है। अतः स्टेट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत दावा बाबत धोषणात्मक एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती एवं चिरनिषेधाज्ञा का पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04—12—2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादीगण का दावा स्वीकार किया गया है के विरुद्व अपील सरकार ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में स्टेट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि ग्राम लखासर के खेत खसरा नम्बर 553/385/23 तादादी 36.06 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है जोकि सेटलमेंट के दौरान आराजीराज दर्ज होने के कारण वादीगण/रेस्पोडेन्ट के गलत तथ्यों के आधार पर वादगत् भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताते हुए वाद को डिक्री करवाया गया है जो कतई सही नहीं है। वादगत् भूमि रिकार्ड में गैर मुमकिन गोचर होने के कारणा वादीगण/रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती। लिहाजा अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

(3) हमनें अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा वादगत् भूमि ग्राम लखासर के खेत खसरा नम्बर 553/385/23 तादादी 36.06 बीघा भूमि सवंत् 2012 से पूर्व जागीर के समय से वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित करवाने की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादीगण का दावा इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण का वादगत् भूमि पर संवत् 2012 से पूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है लिहाजा वादीगण को खेत खसरा नम्बर 553/385/23 तादादी 36.06 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद के संबंध में तनकी संख्या 1 कायम की गई कि खसरा नम्बर

553/385/23 तादादी 36.06 बीघा वाके ग्राम लखासर पर वादी का संवत् 2012 से पूर्व कब्जा काश्त रही है। इसलिए वादी खातेदारी धोषित कराने विकल्प में नियमन द्वारा गैर खातेदारी धोषित कराने का अधिकारी है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य जो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है वे तमाम दस्तावेजी साक्ष्य सवंत् 2040 व उसके उपरान्त के प्रस्तुत किये गये है। सवंत् 2012 या उससे पूर्व का कोई भी राजस्व रिकार्ड वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट का संवत् 2012 या उससे पूर्व का कोई कब्जा काश्त हो। जबकि अदालत मातहत ने मात्र वादीगण के मौखिक कथन के आधार पर कि वे संवत् 2012 से पूर्व काबिज काश्त है खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जो कतई न्यायसंगत नहीं है।

(5) प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में संवत् 2017 तक गैर मुमकिन गोचर दर्ज है तथा कालान्तर में दौराने सेटलमेंट वादगत् भूमि को गैर मुमकिन गोचर से आराजीराज दर्ज किया गया है। उक्त वादगत् भूमि को गैर मुमकिन गोचर से आराजीराज दर्ज करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं था। इस संबंध में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत् 2017 से 2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

(6) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि गोचर भूमि पर इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि या अधिनियमिति से किसी बात के होते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है तो अदालत मातहत द्वारा बिना उक्त धारा की व्याख्या किये ही वादगत् भूमि जो रिकार्ड में गैरमुमकिन गोचर दर्ज थी, के खातेदारी अधिकार

रेस्पोडेन्ट/वादीगण को प्रदान किये गये है वह उक्त धारा के तहत वर्जित होने से अदालत मातहत अपीलाधीन आदेश व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं माना जा सकता।

(7) प्रकरण में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट का कथन कि वादगत् निर्णय के विरूद्व अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है अतः अपील को मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश प्रारम्भतः ही शून्य एवं एब ईनिशियों वाईड आदेश है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसे एब ईनिशियो वाईड आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट की उक्त आपत्ति खारिज की जाती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर स्टेट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01—03—2006 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर